न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

प्रकरण संख्या :— 156 / 2019 निर्णय दिनांक 1-7-19

उनवान

1. हनुमान सहाय पुत्र लालू जाति माली निवासी ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा।

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाने

प्रार्थी ग्रम कोटखावदा तहसील कोटखावदा के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 1979, 4241 से 4245, 4249, 4253, 4254 कुल किता 9 कुल रकबा 2.39 जो वाके ग्रम कोटखावदा तहसील कोटखावदा मे स्थित है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद करवाने हेतु प्रार्थी ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए बताया कि भूमि का सीमाज्ञान कराया जा चुका है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीया की [illegible] प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो प्रार्थिया [illegible] की भूमि पत्थर ग[illegible]रवाया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा संख्या 1979, 4241 से 4245, 4249, 4253, 4254 कुल किता 9 कुल रकबा 2.39

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

जो वाके ग्रम कोटखावदा तहसील कोटखावदा की पत्थरगढी प्रार्थी व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरबढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested